(273) विनोद भार्गव

बीस रुपये TWENTY RUPEES   दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

मगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/0002

1. रामप्रकाश पुत्र श्री नन्दकिशोर,
2. हरिनारायण पुत्र श्री नन्दकिशोर,
3. लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री नन्दकिशोर,
4. महेश प्रसाद पुत्र श्री नन्दकिशोर,

समस्त निवासीगण– ग्राम पठराई तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़(म. प्र.) **--आवेदक**

श्री विनोद भार्गव अभि० द्वारा आज दि० 30-12-17 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 18-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 30/12/17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

--अनावेदक

<u>न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/स्व./निग./99–2000 में पारित आदेश दिनांक 13/07/2000 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 30-12-2017

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः</u>

30/12/17

1. यहकि, ग्राम पठराई तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 33 रकबा 3.642 हे. भूमि पर आवेदकगण के पिता श्री नन्द किशोर का सन् 1977–78 के पूर्व से कास्त करते हुये कब्जा दखल चला आ रहा है अर्थात् दिनांक 02/10/1984 को उपर्युक्त भूमि पर आवेदकगण के पिता एवं आवेदकगण का कब्जा था। (अनाधिकृत कब्जा के विषय में तारीख पेशी दिनांक 15/11/1980 का तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 472/अ68/1977–78 में जारी सूचना पत्र की छाया प्रति एवं राजस्व अभिलेख मामला प्रकरण क्रमांक 14/अ68 की तारीख पेशी दिनांक 12/06/1979 के सूचना पत्र की छाया प्रति एवं खसरा पंचशाला सवंत् 2041 की छाया प्रति संलग्न है।)

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0002 रामप्रकाश विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 55/स्व.निग./1999-00 में पारित आदेश दिनांक 13-07-2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 3 (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	